मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

धारा २० का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २० की उपधारा (३) के खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(एक) वह पार्षद के निर्वाचन की दशा में, ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तारीख से और अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में, धारा ५५ के अधीन आहूत सम्मिलन में अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की जाए; और;".

धारा ४५ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४५ में, पार्श्व शीर्ष और उपबंध में, शब्द "अध्यक्ष और" का लोप किया जाए.

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक ३ सन् २०२४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ४३ उपबंध करती है कि नगरपालिकाओं/नगर परिषदों के अध्यक्षों के निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से संचालित होते हैं, जिनका निर्वाचन पूर्व में ही राजपत्र में अधिसूचित किया गया है. अतएव, राजपत्र में अध्यक्षों के निर्वाचन के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा ४५ में शब्द "अध्यक्ष" का लोप किया जाना और उक्त अधिनियम की धारा २० की उपधारा (३) भी यथोचित् रूप से प्रतिस्थापित की जाना अपेक्षित है.

२. चूंकि, मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा सत्र चालू नहीं था. अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक ३ सन् २०२४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : ३० जुलाई, २०२४.

इंदर सिंह परमार
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१६ दिनांक २७-०१-२०२० को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की धारा १९ (क) में संशोधन किया जाकर प्रदेश की नगरपालिका परिषदों/नगर परिषदों के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों के द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से ही किया जाना प्रावधानित किया गया था.

इसी क्रम में अधिनियम की धारा ४३ में संशोधन कर अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के स्थान पर कलेक्टर से कराये जाने का प्रावधान किया गया है.

तद्समय अधिनियम में संशोधन करते समय अधिनियम की धारा २० एवं ४५ में संशोधन नही हो पाया था, जिसमें नगरपालिका परिषदों/नगर परिषदों के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने के कारण संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था.

उक्त संबंध में कतिपय व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष याचिकायें भी प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा भी उक्त धाराओं में तत्काल संशोधन किये जाने के निर्देश दिये गये थे.

चूंकि, विधान सभा सत्र चालू नहीं होने तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में अधिनियम की धारा २० एवं ४५ में तत्काल संशोधन किये जाने के प्रयोजन से अध्यादेश दिनांक २९-४-२०२४ को जारी किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, २०२४ (क्रमांक ३७ सन् १६६१) से उद्धरण.

** ** ** **

१. धारा २०-निर्वाचन अर्जी :

(३) उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत की गई कोई भी अर्जी तब तक ग्रहण नही की जाएगी जब तक-

(एक) वह उस तारीख से, जिसको ऐसे निर्वाचन (या नाम निर्देशन) का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की जाए और,

** ** ** **

२. धारा ४५ अध्यक्ष और पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना :

वार्डो से अध्यक्ष और पार्षदों का प्रत्येक निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा.

** ** ** **

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.